न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 140/2020

कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प, पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201014 मो0 नं0 8722040356

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 06.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.12.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 140/2020 पर दिनांक 14.12.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।

लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2178–2179 दिनांक 15.12.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।

लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा ने पत्रांक न्याय/सू0अ0/2020/3301 दिनांक 04.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक 04.08.2020 को प्रथम बार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके जबाब मे आवेदक श्री रमेश कुमार को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/2020/2459 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक 28.10.2020 को पुनः दूसरी बार सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसके प्रत्युत्तर मे आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक/20/3134 दिनांक 12.11.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।

लोक सूचना अधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पत्रांक न्याय/सू0अ0/2020/3301 दिनांक 04.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनूं

उनके कार्यालय मे दिनांक 04.08.2020 को प्रथम बार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके जबाब मे आवेदक श्री रमेश कुमार को उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2020/2459 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश द्वारा उनके कार्यालय मे दिनांक 28.10.2020 को पुनः दूसरी बार सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसके प्रत्युत्तर मे आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक/20/3134 दिनांक 12.11.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested